अनुसूची १४—फारम सं० ५६३। बिहार गवर्नमेंट प्रेस, गया। (दो०पी०)

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
१	२	३
	उभय पक्ष उपस्थित। प्रभारी सरकारी अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हैं, एल० ए० आर० संख्या 12/2011 में अनुमण्डल पदाधिकारी, सिमडेगा द्वारा पारित आदेश के आलोक में विपक्षी रामानन्द दास पिता स्व० बसंत दास साकिन सलडेगा टोंगरी टोली थाना सिमडेगा, जिला - सिमडेगा के खाता नं० 6 प्लॉट नं० 1637 रकबा 1.05 ए० में से 0.04 एकड़ जमीन के बदले मुआवजा राशि 48,000=00 (अड़तालीस हजार) रूपये आवेदक जॉनसन डुंग डुंग पिता एक्का डुंग डुंग साकिन सलडेगा टोंगरी टोली थाना सिमडेगा, जिला - सिमडेगा, सिमडेगा को सहायक सरकारी अधिवक्ता अनुज कुमार एवं आवेदक के अधिवक्ता श्री दिलीप कुमार के पहचान पर मेरे समक्ष हस्ताक्षर के समक्ष नकद भुगतान किया गया जो आदेश फलक में दर्ज है। सत्यापित एवं संशोधित अनुमण्डल पदाधिकारी सिमडेगा। अनुमण्डल पदाधिकारी सिमडेगा।	मेरे समक्ष जॉनसन डुंग डुंग को रामानन्द दास ने 48,000/- अड़तालीस हजार रुपये नकद भुगतान किया। Petitioner Johnson Dungdung ... received by me. 24.1.12 Petitioner Johnson Dungdung received compensation amount of Rs. 48,000/- (Rupees forty eight thousand) in cash from the opposite party Ramanand Das before court in my presence. Anuj Kumar A.G.P. 24.1.2012

COURT FEE — INDIA — ONE RUPEE (stamps)

सिमडेगा (seal)

प्रतिलिपिक — तुलनाकर्ता — प्रतिलिपिक

सेवा में,
अनुमंडल अधिकारी, सिमडेगा।

जोनसन डुंगडुंग पिता स्व. [illegible]

बनाम

रामानंद दास पिता [illegible]

विषय :- S.A.R. वाद सं. 12/2011

ग्राम	खाता नं.	प्लाट नं.	रकबा
सलडेगा	6	1637	0.06

महाशय,
उपर्युक्त विषय के संबंध में बिन्दुवार प्रतिवेदन निम्नलिखित है

1. विपक्षी का प्रश्नगत भूमि पर किस प्रकार का कब्जा है ?
→ मकान बनाकर अवैध दखल कब्जा है।

2. विपक्षी का कितनी भूमि पर कब्जा है और कब से है ?
→ 0.06 डि० पर कब्जा है एवं 1965 ई० से दखल कब्जा है। उक्त भूमि में सादा कागज पर एक बिक्री नामा भी लिखी गई है एवं उसी से कब्जा किया गया है।

3. विपक्षी द्वारा मकान, कुंआ बनाया गया है या कोई विकास कार्य किया गया है तो उसका पूर्ण ब्योरा दें जैसे -

क) मकान कब से बना है कच्चा है या पक्का तथा कितनी भूमि पर अवस्थित है ?
→ मकान 2001 ई० से बना है। दिवाल पक्की ईंट से बना है एवं छत खपड़ा का है। 0.02 डि० पर मकान अवस्थित है एवं बाकी आंगन एवं बारी है।

ख) उसकी अनुमानित कीमत क्या है ?
→ अनुमानित कीमत 1,65,000/- (एक लाख पैंसठ हजार) रू० है।

ग) कुंआ है तो कब से बना है उसकी अनुमानित लागत क्या है ?
→ कुंआ नहीं है।

4. खतियानी रैयत कौन है यदि खतियानी रैयत दूसरे व्यक्ति है तो आवेदक के साथ उनका क्या संबंध है ?
→ ~~कुंआ नहीं है~~ इलियाजर खड़िया वल्द सुन्दर खड़िया के लोधा खड़िया ने शुकरु खड़िया के फौलुस खड़िया के [illegible] खड़िया वल्द डोम्बा खड़िया

5. पंजी II रैयत कौन है उनका नाम ब्योरे के साथ दें ?
→ लोधा खड़िया वल्द फौलुस खड़िया के जकरियस खड़िया वल्द शुकरु खड़िया

शुकरु खड़िया (खतियानी रैयत)
↓
जकरियस खड़िया (पंजी II रैयत)
↓
जोनसन डुंगडुंग (आवेदक)

6. विवादित भू. की चौहद्दी -
उ० हाता जोसेफ डुंगडुंग
द० उसी प्लॉट का अंश एवं कच्ची
पू० उसी प्लॉट का अंश
प० उसी प्लॉट का अंश सड़क कच्ची।

अमीन

[illegible] 01/7/6

अंचल निरीक्षक

अंचल अधिकारी

सिमडेगा

झारखण्ड अनुसूचित क्षेत्र बिनियम 1989 छोटानागपुर अधिनियम 1967 के अधीन भूमि वापसी के लिए आवेदन-पत्र ।

सेवा में,

अनुमण्डल पदाधिकारी
सिमडेगा

1. आवेदक का नाम एवं पुरा ब्योरा:
आवेदक का नाम: श्री जोनसन डुंगडुंग
पिता का नाम: स्व० जकरियस डुंगडुंग
ग्राम: सलडेगा टोंगरी टोली अंचल सिमडेगा अनुमण्डल सिमडेगा, जिला-सिमडेगा ।

2. क्या आवेदक अनुसूचित जन जाति के सदस्य है ? खड़िया

3. वापसी ली जाने वाली जमीन का पूर्ण विवरण:-
मौजा: सलडेगा टोंगरी टोली — थाना नं०: 117
थाना- सिमडेगा — खाता नं०: 6
प्लॉट नं०: 1637 — रकबा: 1.05 हे० 0.06 डी०

4. जिस व्यक्ति के दखल में जमीन है उसका ब्योरा:
नाम: रामानन्द दास — पिता: स्व० बसंत दास
जाति: दुसाद — ग्राम: सलडेगा टोंगरी टोली
अनुमण्डल सिमडेगा थाना- सिमडेगा जिला- सिमडेगा

5. वापस ली जाने वाली जमीन संबंधी विवरण:-
(क) जमीन का अंतरण की तिथि: 1968
(ख) क्या जमीन अंतरण निबंधित विक्रय-पत्र/रजिस्टर्ड सेल लीज गिफट या ठेका आदि द्वारा किया है, यदि हो तो उसका विवरण:

(ग) क्या जमीन के हस्तान्तरित में उपायुक्त की पूर्ण अनुमति प्राप्त की गयी है यदि हो तो उसका केश नं०:

(घ) क्या जमीन का हस्तान्तरण, छल प्रपत्र या अन्यात्र नाजायज तरीके से किया गया है यदि हो तो उसका संक्षिप्त विवरण:

6. वापस ली जाने वाली जमीन की स्थिति:
क्या उस जमीन पर पक्का मकान आदि भी बने है, यदि हो तो उसके बनने की तारीख एवं उसका अनुमानित मूल्य: ईंट-चदरा से - मूल्य- 65000/-

7. अन्याय संबंधी सूचनार्थ, यदि कोई हो:

जोनसन डुंगडुंग
आवेदक का पुरा हस्ताक्षर/-

Identified by me
[signature]
28/1/2011

अनुमण्डल पदाधिकारी
सिमडेगा

न्यायालय श्रीमान् अनुमण्डल दण्डाधिकारी, सिमडेगा ।

वाद सं. - एस. ए. आर. - 12/11

जॉनसन डुंग डुंग पिता स्व0 जकरियस डुंग डुंग
मौजा सलडेगा चैली टोंगरी टोली थाना वो
जिला सिमडेगा ..आवेदक ।

बनाम

रामानन्द दास, पिता स्व0 बसन्त दास
मौजा सलडेगा चैली टोंगरी टोली थाना वो
जिला सिमडेगा ..विपक्षी ।

गरीब परवर,

सलामत गुजारिश है कि उपरोक्त वाद में विपक्षी रामानन्द दास पिता स्व0 बसन्त दास मौजा सलडेगा टोंगरी टोली थाना वो जिला सिमडेगा की ओर से लिखित जवाब दाखिल किया जाता है ।

24/10/011

﴾1﴿ यह कि, आवेदक द्वारा एस.ए.आर. एक्ट 1969 के अन्तर्गत जमीन वापसी हेतू मुकदमा किया है और श्रीमान के द्वारा हमें नोटिश देकर कारण पृच्छा मांगा गया है ।

﴾2﴿ यह कि, प्रश्नगत भूमि मौजा सलडेगा टोंगरी टोली थाना सिमडेगा थाना नं. 6 प्लाट नं. 1637 रकबा 0.06 एकड़ के बाबत मुकदमा किया गया है ।

﴾3﴿ यह कि, प्रश्नगत भूमि के बाबत जो एस.ए.आर. वाद लाया गया है वह श्रीमान् के न्यायालय द्वारा श्रवणीय नहीं है चलने योग्य नहीं है इसके वर्तमान स्वरूप बदल चुका है अतः यह मुकदमा खारिज होने लायक है ।

सिमडेगा

§4§ यह कि, विपक्षी रामानन्द दास का प्रश्नगत भूमि पर एडवर्स पोसेसन प्राप्त हो चुका है इसमें विपक्षी 1965 से ही सादा हुकुमनामा के द्वारा खरीदकर मकान सहन बनाकर 1965 से ही दखलकार चले आ रहे हैं ।

§5§ यह कि, यह वाद समय सीमा के द्वारा बाधित है आवेदक को 30 वर्ष के अन्दर ही एस. ए. आर. मुकदमा दायर करना चाहिए था । प्रश्नगत भूमि पर विपक्षी का दखल कब्जा सन् 1965 ई0 से ही चली आ रही है यह अवधि लगभग 46 वर्ष हो चुकी है । अतः यह मुकदमा श्रीमान् के न्यायालय में चलने के काबिल नहीं है अतः खारिज किया जा सकता है ।

§6§ यह कि, प्रश्नगत भूमि के बाबत जो रिपोर्ट अंचलाधिकारी, सिमडेगा के द्वारा जांच प्रतिवेदन दिया गया है उसे भी स्पष्ट है कि विपक्षी का दखल कब्जा सम्पुष्ट हो चुका है ।

§7§ यह कि, प्रश्नगत भूमि पर विपक्षी का मकान सहन निर्माण कार्य में आई लागत को देखते हुए उसे बेदखल नहीं किया जा सकता है अतः उसके एवज में आवेदक को श्रीमान् मुआवजे का भुगतान करने का आदेश विपक्षी को दे सकते हैं । सी. एन. टी. एक्ट के सेक्शन 71 ए की धारा के आधार पर मुआवजा की राशि भुगतान कर विपक्षी का दखल कब्जा सम्पुष्ट करने का स्पष्ट प्रावधान है ।

§8§ यह कि, अन्य बातें सुनवाई के समय पेश किया जाएगा ।

अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि आवेदक का आवेदन को खारिज करते हुए विपक्षी का दखल कब्जा सम्पुष्ट करने का कृपा किया जाय या कोई उचित आदेश देने की कृपा की जाय ।

आइन्दे हुजूर मालिक हैं ।

रामानन्द दास

24/10/11

सिमडेगा

न्यायालय श्रीमान् अनुमण्डल पदाधिकारी, सिमडेगा ।

वाद सं. - एस.ए.आर. 12/11

जॉनसन डुंग डुंग पिता स्व0 जकरियस डुंग डुंग
मौजा सलडेगा चैली टोंगरीटोली थाना वो
जिला- सिमडेगा . .. आवेदक ।

बनाम

रामानन्द दास, पिता स्व0 बसन्त दास
मौजा सलडेगा चैली टोंगरी टोली थाना वो
जिला सिमडेगा .. विपक्षी ।

गरीब परवर,

सलामत गुजारिश है कि उपरोक्त वाद में आवेदक श्री जॉनसन डुंग डुंग पिता स्व0 जकरियस डुंग डुंग मौजा सलडेगा थाना वो जिला सिमडेगा की ओर से निम्नलिखित जवाब दाखिल किया जाता है -

§1§ यह कि, प्रश्नगत भूमि मौजा सल्डेगा चैली टोंगरी टोली थाना नं. 117 थाना वो जिला सिमडेगा के खाता नं 06 के प्लाट नं. 1637 रकबा 0.06 एकड़ के बावत एस.ए.आर. 1969 एक्ट के तहत जमीन वापसी का मुकदमा दायर किया गया है ।

§2§ यह कि, प्रश्नगत भूमि का विवरण इस प्रकार है -

मौजा	थाना	थाना नं	खाता नं
सलडेगा चैलीटोंगरीटोली	सिमडेगा	117	06

प्लाट नं. 1637 रकबा 0.06 एकड़ के बावत वाद लाया गया है ।

§3§ यह कि, प्रश्नगत भूमि पर विपक्षी रामानंद दास पिता स्व0 बसन्त दास, मौजा सल्डेगा चैलीटोंगरी टोली थाना- सिमडेगा जिला सिमडेगा ने अवैध कब्जा कर मकान भवन बनाकर रहते चले आ रहे हैं ।

सिमडेगा

§4§ यह कि,मेरे पिताजी को विपक्षी के पिता स्व0 क्षात दारा बहला-फुसलाकर मकान सहन बनाकर अवैध कर कब्जा कर रखे हैं इसलिए मैं यह वाद श्रीमान् के न्यायालय में लाया हूँ ।

§5§ यह कि,मैं खाताधारी रैयत इलियाजर खड़िया के वंशज एवं पंजी ।। के रैयत स्व0 जकरियसखड़िया का पुत्र हूँ ।

§6§ यह कि, विपक्षी रामानन्द दास ने मेरे पिताजी से सन् 1965 ई0 में एक सादा हुकुमनामा के द्वारा मो0 300/- रूपये में 0.06 एकड़ जमीन खरीदकर दखल पर आये ।

§7§ यह कि,प्रश्नगत भूमि पर विपक्षी ने 1965 ई0 से कच्चा मकान बनाकर दखलकार हुए तथा उसी मकान को गिर जाने के बाद 2001 में पक्का ईंटा से चदरा का छत देकर बनाया गया है जिसमें लगभग 1,35,000/- §एक लाख पैंतीस हजार रूपये§ का लागत आया है ।

§8§ यह कि,प्रश्नगत भूमि के एवज में मेरे पिता को जो राशि दी गयी थी अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि उचित मुआवजा की राशि निर्धारित कर मुझे मुआवजा दिया जाय ।

§9§ यह कि,यदि विपक्षी हमें प्रश्नगत भूमि के एवज में उचित मुआवजा निर्धारित कर देने का आदेश पारित होंगे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी ।

अतः श्रीमान् से प्रार्थना है मुझे वर्तमान बाजार मूल्य के आधार पर मुआवजा दिलाने की कृपा की जाय ।

आइन्दे हुजूर मालिक हैं ।

जोनिसस खड़िया

सही/-

24/10/11

अंचल पदाधिकारी सिमडेगा

20 13